

व्यक्तिगत आवास ऋण योजना

1.	योजना का नाम	व्यक्तिगत आवास ऋण योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	भूखण्ड, मकान क्रय करने तथा मकान निर्माण एवं विस्तार के लिए अधिकतम 10.00 लाख रू. तक का ऋण 15 वर्ष की अवधि के लिए 12% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है।
3.	प्रारम्भ वर्ष	नवम्बर, 1996
4.	लाभान्वित वर्ग	समस्त वर्ग
5.	पात्रता	भवन/भूखण्ड के वैध दस्तावेज एवं निश्चित व नियमित आय का प्रमाण
6.	देय सुविधाएँ	अधिक एवं आसानी से ऋण प्राप्त करने के लिए सह आवेदक बनाने की सुविधा दी जाती है एवं मासिक कटवामिती पद्धति से समानीकृत किश्तों में ऋण की वसूली की जाती है।
7.	आवेदन का तरीका	20/- रू. का निर्धारित आवेदन पत्र क्रय कर उल्लेखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होता है।
8.	आवेदन कहां किया जावे	संघ मुख्यालय एवं जिलों में नियुक्त ए.ई.ओ.एवं ऋण पर्यवक्षक को प्रस्तुत किये जावेंगे।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएँ	भूखण्ड एवं भवन आवंटन संबंधी वैध दस्तावेज दो फोटो एस्टीमेट टाईटल रिपोर्ट (संघ द्वारा नियुक्त पैनल अधिवक्ता से) स्वयं का आय प्रमाण पत्र, दो गारंटर एवं नोमिनल सदस्यता फार्म।
10.	सम्पर्क सूत्र	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी आवास संघ लि., जयपुर 2741805, 2740699